(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 1641–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 629/अपील/11–12.

.....

1. मनोहर हरवानी पुत्र श्याम सुन्दर हरवानी,
निवासी डी–11, बीडीए कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल
2. मुरली हरवानी पुत्र श्याम सुन्दर हरवानी,
निवासी डी–4,बीडीए कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल ..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1.देवेन्द्र चौकसे आत्मज श्री नर्मदा प्रसाद चौकसे,
निवासी ग्राम बाबड़ियाकलां, तहसील हुजूर जिला भोपाल
2.निर्भयसिंह आत्मज गणपत सिंह दांगी (मृतक)
द्वारा वारिसानः–
2–अ. श्रीमती बैजयन्ती बाई पत्नि स्व0 श्री निर्भय सिंह,
2–ब. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री निर्भय सिंह,
2–स. सुरेन्द्र सिंह दांगी पुत्र श्री स्व0 निर्भय सिंह,
2–द. कु0निशा दांगी पुत्री श्री सव0 निर्भय सिंह,
सभी निवासीगण ग्राम भैरोपुर तहसील हुजूर,
जिला भोपाल.
3. अरविंद कुमार बड़जात्या पुत्र गुलाबचंद,
निवासी ई–3/162, अरेरा कॉलानी, भोपाल (म0प्र0)
4. श्रीमती अर्चना पत्नि सुधीर कुमार,
निवासी ई–4/ , अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)
5. श्रीमती कैलाश पत्नि सुशील कुमार,
निवासी ई–1/5 , अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)
6.दीपक बब्बर पुत्र श्री बी0एल0 बब्बर,
निवासी 131/4, एम0पी0 नगर, जोन–2, भोपाल (म0प्र0)
7. श्रीमती विनिता पत्नि श्री बी0के0 बहल,
निवासी ई–1/5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)
8. श्री बी0एन0 बहल आत्मज अमरनाथ बहल,
निवासी ई–1/5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)

9. श्रीमती कैलाश पत्नि बी0एन0 बहल,
निवासी ई–1/5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)
10.सुनील जैन पुत्र कमलचंद्र जैन,
11.श्रीमती रंजना पत्नि श्री सुशील कुमार,
दोनों निवासीगण मालवीय नगर, भोपाल (म0प्र0)
12.म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म0प्र0) ..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री जे0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री आर0एन0 मालवीय, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1 व 6
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 3
श्री संतोष सिंह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 4
श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 10 व 11

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/11/16 को पारित)

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा ग्राम छान तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 28/1/1 रकबा 1.27 एकड़, 29/1/3/1 रकबा 1.18 एकड़, 29/1/2 रकबा 0.36 एकड़, 29/1/3/3 रकबा 0.82 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 29/1/3/2 रकबा 1.18 एकड़ पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से घीसीलाल आत्मज चतरसिंह से कय की जाकर, उनका नाम नामांतरण पंजी कमांक 18 पर पारित आदेश दिनांक 29–1–2001 एवं नामांतरण पंजी कमांक 20 पर पारित आदेश दिनांक 15–2–2001 से स्वीकृत किया गया है, परंतु शासकीय अभिलेख में प्रविष्टि नहीं हो सकी है, अतः शासकीय अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती करने के आदेश दिये जायें। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार हुजूर को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–6–अ/2006–07 दर्ज कर विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी

को प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि अभिलेखों में संशोधन के साथ–साथ नक्शे में भी संशोधन होना है, प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर सुनवाई कर एक माह के अंदर प्रकरण का निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 23–8–2007 को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 6–10–2008 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार नक्शे में संशोधन के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा जिस समय भूमिंया कय की गई, उस समय राजस्व अभिलेखों में पुराने सर्वे नम्बर ही अंकित थे, और उसी अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा भूमियां कय की गई हैं, और पुराने सर्वे नम्बरों के अनुसार ही अपीलार्थीगण का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमियों पर हुआ है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा नक्शे में पुराने सर्वे नम्बरों एवं नये सर्वे नम्बर के रकबे में आये अंतर को संशोधित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच में नक्शे में त्रुटि पाई गई है, इसलिये नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शे में संशोधन का अधिकार कलेक्टर को ही प्राप्त है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन करने से किसी भी पक्षकार की भूमि कम नहीं हुई है, और अनावेदक कमांक 1 व 6 के अभिभाषक द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि प्रश्नाधीन संशोधन से उनकी भूमि का कितना रकबा कम हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का

यह निष्कर्ष अवैध है कि कलेक्टर द्वारा कल्पनाओं के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि कलेक्टर द्वारा अभिलेख के आधार पर नक्शा संशोधन का आदेश पारित किया गया है, और अपर आयुक्त द्वारा बिना तुलनात्मक दस्तावेजों का अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख के आधार पर नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन किया गया है, जिससे अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी पक्षकार का रकबा कम नहीं हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अपर आयुक्त द्वारा नक्शा संशोधन में त्रुटि पाई गई थी, तब उन्हें पुनः जांच कर प्रकरण का निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 व 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1. अपीलार्थीगण द्वारा नक्शा दुरूस्ती हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन का आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

2. अपीलार्थीगण द्वारा बंदोवस्त के उपरांत बंदोवस्त के पूर्व के खसरों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियां कय कर नामांतरण कराया गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रश्नाधीन बंदोवस्त के पूर्व ही कय कर नामंरतण करा लिया गया है, तब नक्शे में संशोधन कर प्रत्यर्थीगण का रकबा कम नहीं किया जा सकता है ।

3. तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का उद्देश्य केवल अपीलार्थीगण का रकबा पूर्ण कराने का रहा है, और उसी अनुसार उनके द्वारा कार्यवाही की गई है और संशोधन से प्रत्यर्थीगण का रकबा कम होने से उनके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है ।

4. अपीलार्थीगण का नामांतरण वर्ष 2001 में हुआ है, और 7 वर्ष पश्चांत् वर्ष 2007 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे शंकास्पद मानने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5. अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र रिकार्ड सुधार से सम्बन्धित नहीं है, और न ही बंदोवस्त के दौरान हुई त्रुटि से सम्बन्धित है, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा बंदोवस्त के पश्चात् भूमि क्रय की गई है ।

6. अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में उनके नाम की प्रविष्टि नहीं होने से राजस्व अभिलेखों में संशोधन चाहा गया है, जबकि राजस्व अभिलेखों में उनका नाम पूर्व से ही दर्ज है, उनके द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है ।

7. दिनांक 9–6–2000 को बंदोवस्त समाप्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् पुराने नम्बर नहीं आ सकते हैं, परंतु अपीलार्थीगण ने जानबूझकर पुराने सर्वे नम्बरों से रजिस्ट्री कराई है, क्योंकि उनका रकबा अधिक है ।

8. जितनी भूमि घीसीलाल द्वारा अपीलार्थीगण को विक्रय की गई है, उतनी भूमि उसके पास शेष ही नहीं थी ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

1. प्रत्यर्थी कमांक 3 को कलेक्टर द्वारा न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसलिये कलेक्टर का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क के समर्थन में 2002 आर0एन0 126 व 2000 आर0एन0 177 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

2. तहसीलदार के समक्ष अनावेदक कमांक 3 द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा केवल तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक होने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

3. प्रत्यर्थी कमांक 3 की पुश्तैनी भूमि होकर उसका आधिपत्य एवं स्वामित्व चला आ रहा है, और अपीलार्थीगण की ओर से निगरानी मेमों में गलत आंकड़े दर्शाये जाकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है ।

4. अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवेदन में यह उल्लेख कि नक्शा दुरूस्ती से प्रत्यर्थीगण का रकबा

कम नहीं होगा कल्पनाओं पर आधारित है, जो कि अपने स्थान पर उचित है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5. प्रत्यर्थी कमांक 3 के सर्वे नम्बर 37 व 38 रकबा बरारी में नहीं लिये गये हैं, और प्रत्यर्थी कमांक 3 5.67 एकड़ भूमि का भूमिस्वामी है ।

6. अपीलार्थीगण को राजस्व अभिलेखों में सुधार कराने का अधिकार नहीं होकर विक्रेता को था ।

6/ प्रत्यर्थी कमांक 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त ने कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इस प्रकरण के आवेदकगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–2–2001 एवं 29–1–2001 द्वारा नामान्तरण के आधार पर दुरूस्तीकरण चाहा था तथा उनके द्वारा नक्शा दुरूस्ती के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा था तथा निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी उल्लखित किया कि इस प्रकरण के आवेदकगण के विक्रय पत्र दिनांक 10–1–2001, 12–1–2001, 15–1–2001 का विक्रय पत्र व उसके आधार पर नामान्तरण बंदोबस्त समाप्त हो जाने के बाद किया गया है तथा बंदोबस्त की पूर्व की स्थिति के अनुसार पुराना खसरा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया है तथा नामान्तरण बंदोबस्त पूर्व खसरा अनुसार अधिक भूमि के रकबे का होने से प्रतिवेदन तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया गया, इस प्रकार अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 6–7–2008 को निरस्त कर अपील दिनांक 8–3–2016 को स्वीकार किया जाना एक विधिक आदेश है एवं इस आदेश को स्थिर रखा जाना न्याय हित में होगा ।

(2) इस प्रकरण के पूर्व अनावेदक कमांक 4 को कभी निम्न न्यायालय से संबंधित कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण वह अपना पूर्ण पक्ष नहीं रख सही परन्तु दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रतिवेदन विक्रय पत्र के आधार पर दिया है उनके द्वारा व कलेक्टर द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि विक्रय पत्र में उल्लेखित

खसरा व रकबा बंदोबस्त के पूर्व का है एवं नामान्तरण के समय यह रकबा खसरे में उल्लेखित नहीं है एवं नया खसरा होने से या तो उनके द्वारा नया खसरा नम्बर 92 एवं 98 के विक्रय पत्रों में संशोधन हेतु इस प्रकरण के आवेदकगण को निर्देशित किया जाना था और तत्कालीन समय की स्थिति के अनुसार विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जाना था ।

(3) तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी व कलेक्टर ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि इस प्रकरण के आवेदकगण ने बंदोबस्त की त्रुटि के आधार पर दुरूस्तीकरण हेतु जो आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत किया था वह विक्रय पत्रों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था एवं सभी विक्रय पत्र बंदोबस्त के पश्चात् के होने से यह एक त्रुटि सुधार का प्रश्न है न कि बंदोबस्त की त्रुटि के आधार पर विचार योग्य था इसके बावजूद भी कलेक्टर भोपाल, तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करते हुये आवेदकगण के पक्ष में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये थे ।

(4) कलेक्टर जिला भोपाल ने आदेश पारित करते समय इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न इस प्रकरण के आवेदकगण से संबंधित नहीं है और भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत उन पर प्रभावशील नहीं है । यदि इससे संबंधित किसी भी तरह की कार्यवाही किया जाना थी तो आवेदकगण के पूर्व भूमिस्वामी घासीराम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही किया जाना थी इस प्रकार असंयोजन की ओर भी कलेक्टर जिला भोपाल ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वैधानिक आधार पर अपर आयुक्त संभाग भोपाल द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 6–7–2008 को निरस्त कर दिया गया ।

(5) इस प्रकरण के आवेदकगण को घासीराम की भूमि ग्राम छान के पूर्व खसरा नम्बर 28/1/1 रकबा 1.27 एकड़, खसरा 27/1/2 रकबा 0.36 एकड़, खसरा नम्बर 29/1/3 रकबा 3.18 एकड़ के स्वामित्व व आधिपत्य विक्रय पत्र दिनांक 10–1–2001, 11–1–2001, 12–1–2001, 15–1–2001 के आधार पर स्वामित्व प्राप्त हुये है, इन विक्रय पत्रों में विक्रय पत्र पंजीबद्ध के समय तत्कालीन व वर्तमान समय के इस भूमि के नये खसरा नम्बर 92 और 98 का उल्लेख न होने से

सर्वप्रथम संबंधित पंजीयक को विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं करना था तथा पंजीबद्ध के समय तत्कालीन समय के खसरा संलग्न करवाकर विक्रय पत्रों का पंजीयन किया जाना था जिससे तत्कालीन समय के खसरा व रकबा विक्रय पत्र में उल्लेखित होते तो इतने रकबे का विक्रय पत्र पंजीयन होना संभव नहीं होता, परन्तु प्रकरण के आवेदकगण ने लाभ प्राप्त करने हेतु पुराने खसरों के आधार पर प्रस्तुत कर विक्रय पत्र पंजीयन कराया है, जो स्वतः अवैध व शून्य की श्रेणी में है ।

7/ प्रत्यर्थी क्रमांक 10 व 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में प्रकरण में परिवेदित पक्षकार प्रत्यर्थी क्रमांक 10 व 11 हैं, क्योंकि कलेक्टर के आदेश से उनका रकबा कम हुआ है । यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा शालिग्राम बिल्डर्स से भूमि क्रय की गई हैं, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा घीसीलाल से भूमि क्रय की गई है, अतः अपीलार्थीगण के रकबे की पूर्ति प्रत्यर्थीगण के रकबे से कैसे की जा सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण नक्शा दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण के आवेदन में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदन पत्र संहिता की धारा 116/116 के अंतर्गत त्रुटि सुधार से सम्बन्धित है, जिसका अधिकार तहसीलदार को होकर कलेक्टर को नहीं है । यह भी कहा गया कि दिनांक 9–6–2000 को बंदोवस्त समाप्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् पुराने नम्बर नहीं आ सकते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा बंदोवस्त के पश्चात् भूमि क्रय की है, इसलिये बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति नहीं देखी जा सकती है । उनके द्वारा अपर आयुक्त को आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

8/ शेष अनावेदकगण के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

9/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि खसरा क्र. 28/1/1 रकबा 1.27 एकड़, 29/1/2 रकबा 0.36 एकउ एवं 29/1/3 रकबा 3.18 एकड़ कुल 4.81

एकड़ घीसीलाल आत्मज चतरसिंह के स्वामित्व की थी जो राजस्व अभिलेखों में उसके नाम भूमिस्वामी अधिकार में दर्ज थी जिसे अपीलार्थीगण द्वारा पृथक पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है, और उनका नामांतरण भी नामान्तरण पंजी क्र. 18 दिनांक 29.01.2001 एवं पंजी क्र. 20 दिनांक 15.02.2001 द्वारा स्वीकृत किया और खसरा वर्ष 2001 में प्रश्नाधीन भूमियों पर नामान्तरण हो गया है, परंतु राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने से अपीलार्थीगण द्वारा अभिलेख संशोधित किये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कलेक्टर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को भेजा गया है । तहसीलदार द्वारा विस्तृत जांच की जाकर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का सकारण निराकरण किया गया है । जांच के दौरान तहसीलदार द्वारा यह पाये जाने पर कि प्रश्नाधीन भूमियों से सम्बन्धित नक्शा त्रुटिपूर्ण है, राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे में संशोधन हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह पाते हुए कि संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शे में संशोधन का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है, प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ कलेक्टर को भेजा गया है । कलेक्टर द्वारा यह पाते हुए कि प्रतिवेदन तैयार करने में सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, प्रतिवेदन पुनः अनुविभागीय अधिकारी को वापिस कर निर्देशित किया गया है कि सभी हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः तामील कराई जाये, यदि व्यक्तिशः तामील संभव न हो तो अपीलार्थीगण के व्यय पर पंजीकृत डाक से तामीली कराई जाये तथा प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन कराया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का सकारण निराकरण करते हुए प्रस्तावित नक्शे के अनुसार अभिलेख सुधार किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा पुनः सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन हेतु सूचना जारी की गई है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए दिनांक 6–10–2008 को आदेश पारित

किया गया है । कलेक्टर के आदेश को अन्य किसी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी जाकर केवल प्रत्यर्थी कमांक 1 देवेन्द्र चौकसे द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया है कि अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि बंदोवस्त के पश्चात् कय की गई है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि बंदोवस्त के पूर्व कय की जाकर उनका नामांतरण भी हो चुका है, इसलिये उनका रकबा कम कर अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है, और कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि प्रश्नाधीन संशोधन से किसी का रकबा प्रभावित नहीं होगा कल्पनाओं पर आधारित है, परंतु उनके द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष का कोई आधार आदेश में नहीं दर्शाया गया है, कि क्योंकर कलेक्टर के निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं होकर कल्पनाओं पर आधारित हैं। यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि अपर आयुक्त के मत में नक्शें एवं राजस्व अभिलेखों में संशोधन से प्रत्यर्थीगण के रकबे में कमी आई थी, तब उन्हैं प्रकरण में फिर से जांच कराकर अतिरिक्त साक्ष्य लेते हुए प्रकरण का निराकरण करना था, केवल कलेक्टर का आदेश निरस्त करने से प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं हुआ है, और न ही पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हुआ है । प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तकनीकी स्वरूप के आधार उठाये जाकर कि यह प्रकरण संहिता की धारा 89 के अंतर्गत नहीं आता है, आवेदन पत्र में नक्शे में संशोधन नहीं चाहा गया है और प्रकरण संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत होकर तहसीलदार को अधिकार प्राप्त है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या तकनीकी आधारों पर त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेखों अथवा नक्शे को बिना संशोधन के यथावत् रखा जा सकता है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे को अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का होकर त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार किसी के स्वत्व को प्रभावित नहीं किया जा सकता है । अतः प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क मान्य किये जानें योग्य नहीं है । इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह विधिक एवं न्यायिक

आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर को यह निर्देश दिया जाना आवश्यक एवं उचित है कि प्रकरण में विद्यमान राजस्व अभिलेख एवं राजस्व अक्श का त्रुटिसुधार करने के लिए पुनः नये सिरे से जांच कराई जाकर, उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करें । इस प्रकरण में राजस्व अभिलेख को अद्यतन एवं दुरूस्त करने के लिये नये सिरे से जांच कराई जाकर नक्शे में संशोधन किया जाना है और यह कार्य कलेक्टर द्वारा ही उचित ढंग से किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता भी कलेक्टर को ही है, अतः प्रकरण में कलेक्टर को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख की त्रुटिसुधार करने के लिये निर्देशित करना उचित है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लियें प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 एवं कलेक्टर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2008 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण कें परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर तीन माह में निराकरण किये जाने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है । यह आदेश अन्य प्रकरणों के लिये न्याय दृष्टांत नहीं होगा ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर